–: राजस्थान सरकार:–

न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर

मु0नं0–61/2024 (जीसीएमएस नं0 2024/101)

उनवान –सरकार बनाम

1. रवि सिंघल पुत्र श्री सुरेश सिंघल, उम्र 44 बर्ष, जाति वैश्य, विक्रेता मैसर्स:– अग्रवाल मिष्ठान भण्डार, संतर रोड, धौलपुर, निवासी एलआईसी के पास रीको इण्ड0 एरिया,धौलपुर
2. सुरेश चंद सिंघल पुत्र श्री किरोरी लाल मालिक मैसर्स:– अग्रवाल मिष्ठान भण्डार, संतर रोड, धौलपुर

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii)/51 एफ0एस0एस0 एक्ट 2006 नियम 2011

धौलपुर (राज.)

निर्णय दिनांक –28.06.2024

उक्त प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रस्तुत न्यायनिर्णयन आवेदन श्री पदम सिंह परमार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर ने अभियुक्त 1. रवि सिंघल पुत्र श्री सुरेश सिंघल, उम्र 44 वर्ष, जाति वैश्य, विक्रेता मैसर्स:– अग्रवाल मिष्ठान भण्डार, संतर रोड, धौलपुर, निवासी एलआईसी के पास रीको इण्ड0 एरिया,धौलपुर 2. सुरेश चंद सिंघल पुत्र श्री किरोरी लाल मालिक मैसर्स:– अग्रवाल मिष्ठान भण्डार, संतर रोड, धौलपुर के विरुद्व अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा धारा 2(ii)/51 एफ0एस0एस0एक्ट 2006 रुल्स 2011 के तहत पेश किया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 20.03.2024 को अभियुक्त/अप्रार्थीगण के दुकान मैसर्स:– अग्रवाल मिष्ठान भण्डार, संतर रोड,धौलपुर निरीक्षण के दौरान दुकान में रखे फ्रीजर में लगभग 30 किलोग्राम मावा आम जनता के विक्रय करने हेतु रखा था। उक्त में मिलावट का शक होने पर उक्त मावा मे से 1 किलो मावा को वास्ते नमूना जॉच अभियुक्त से खरीदा गया। उक्त मावा नमूना डी–3124 वास्ते जांच हेतु खाद्य विश्लेषक राजस्थान भरतपुर को भेजा गया। खाद्य विश्लेषक राजस्थान भरतपुर की जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/233/एक्ट/2024/297 दिनांक 27.03.2024 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया मावा सबस्टेण्डर्ड (Substandard) प्रकृति का होना पाया गया जिसका जुर्माना धारा 51 में वर्णित है। न्यायनिर्णयन आवेदन दर्ज रजिस्टर कर अभियुक्त/अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलव किया गया। अप्रार्थीगण स्वंय उपस्थित हुआ। अप्रार्थीगण को आरोप नोटिस पढकर सुनाया गया। अप्रार्थीगण द्वारा नोटिस का जबाब पेश किया जिसमें अप्रार्थीगण ने अपना जुर्म स्वीकार किया तथा भविष्य में इस तरह की पुर्नावृति नहीं करने एवं कम से कम जुर्माना कर प्रकरण का निस्तारण करने की प्रार्थना की।

हमने पैरोकार सरकार व अप्रार्थीगण को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण द्वारा अपना जुर्म एवं जुर्माना स्वीकार करने से प्रमाणित होता है कि अप्रार्थीगण ने उक्त मावा सबस्टेण्डर्ड (Substandard) का विक्रय करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा (ii) का उल्लंघन किया है। इस प्रकार अप्रार्थी मावा सबस्टेण्डर्ड (Substandard) बेचने का दोषी है जो धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है।

अतः श्री रवि सिंघल पुत्र श्री सुरेश सिंघल, उम्र 44 वर्ष, जाति वैश्य, विक्रेता मैसर्स:– अग्रवाल मिष्ठान भण्डार, संतर रोड, धौलपुर, निवासी एलआईसी के पास रीको इण्ड0 एरिया,धौलपुर, सुरेश चंद सिंघल पुत्र श्री किरोरी लाल मालिक मैसर्स:– अग्रवाल मिष्ठान भण्डार, संतर रोड, धौलपुर पर प्रकरण के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए खाद्य संरक्षा के मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के तहत 10,000/--रुपये (दस हजार रूपये) जुर्माना लगाया जाता है। जुर्माने की राशि कैशियर कलेक्ट्रैट, धौलपुर को जमा करावें। बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। प्रकरण नम्बर से कम किया जावे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/6/24

(ब्रह्मलाल जाट)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर(राज.)

Scanned with OKEN Scanner